

6

# प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

## अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पू.आई.डी. संख्या: UPFS/2025/159209/HAP/HAPUR/2285/CFO  
दिनांक: 26-05-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स MS INTERNATIONAL SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता KHASRA NO 500M VILL BADNOLI, POST- SARAWA HAPUR, VILL BADNOLI, POST- SARAWA HAPUR, Hapur तहसील - Hapur, ज़िला एरिया 10043.00 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 2134.40 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	1	0	3.80 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स MS INTERNATIONAL SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओबीओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईओएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 30-05-2025 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री KIRAN KUMAR VIMAL के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रशंगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर रोप्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 02-06-2025 से 01-06-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करतो हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किराी भी घटना के लिए मैसर्स MS INTERNATIONAL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स MS INTERNATIONAL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन NBC-2016 एवं उओप्रओ अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 तद्वधीन नियमावली-2024 के अनुसार एनओबीओसीओ निर्गत किया जा रहा है 1-अई अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। 2-फायर उपकरणों का वार्षिक एओएमओसीओ/मरम्मत अई एजेन्ती से कराया जाय। 3-विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)  
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(MANU SHARMA)

[E200FCC372401A3D6300594E2F6E2195AE96E87F]

02-06-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 02-06-2025  
स्थान : HAPUR

*SHWETA SINGH*  
Manager

MS International School  
Modinagar Road, Badnoli (Hapur)

*Sakshi*

Principal

MS International School  
Modinagar Road, Badnoli (Hapur)